उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 8 | अंक 3 | 1-15 फरवरी 2025 | ₹ 20/-

वक्फ विधेयक पर जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश

- गुजरात में भी यूसीसी लागू करने की तैयारी
- अफगानिस्तान में हुए धमाके में 25 लोगों की मौत
- ट्रम्प की गाजा योजना से मचा बवाल
- किर्गिस्तान में नकाब पहनने पर प्रतिबंध

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

वक्फ विधेयक पर जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश 04
अब गुजरात में भी समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी 07
महाराष्ट्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की घोषणा 08
दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम पर उर्दू मीडिया की प्रतिक्रिया 10
केंद्रीय बजट उर्दू अखबारों की नजर में 13

विश्व

अफगानिस्तान में हुए धमाके में 25 लोगों की मौत 16
इस्माइली धार्मिक प्रमुख करीम आगा खान का निधन 17
पाकिस्तान और तुर्किये के बीच 24 समझौतों पर हस्ताक्षर 18
ढाका में शेख मुजीब के आवास पर उग्र भीड़ का हमला 19
किर्गिस्तान में नकाब पहनने पर प्रतिबंध 20
मलेशिया में वैलेंटाइन डे मनाने पर प्रतिबंध 21

पश्चिम एशिया

ट्रम्प की गाजा योजना से मचा बवाल 22
अमेरिका द्वारा इजरायल को हथियारों की सहायता 25
लेबनान में नई सरकार का गठन 27
लेबनान में ईरानी विमानों पर प्रतिबंध का विरोध 28
सऊदी अरब द्वारा हज के लिए वीजा नियमों में बदलाव 29

सारांश

वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विचार करने के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट भारी हंगामे के बीच संसद के दोनों सदनों में पेश कर दी गई। विपक्षी दलों ने इस रिपोर्ट को फर्जी करार देते हुए दोनों सदनों का बहिष्कार किया। उनका आरोप था कि सत्तारूढ़ दल के दबाव में आकर जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने एकपक्षीय रिपोर्ट पेश की है और इसमें विपक्षी सदस्यों की राय व असहमति नोट को शामिल नहीं किया गया है। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि जेपीसी के अध्यक्ष ने जानबूझकर उन लोगों की टिप्पणियों को महत्व दिया, जिनका वक्फ संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है। जबकि वक्फ से संबंधित लोगों की टिप्पणियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया।

गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का प्रारूप तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में एक पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी 45 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप देगी। गौरतलब है कि हाल ही में उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया गया है। वहां पर तमाम धर्मों व समुदायों के लिए विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और उत्तराधिकार का एक समान कानून होगा। हालांकि, आदिवासियों को इस कानून से बाहर रखा गया है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश, राजस्थान और असम में भी यूसीसी लागू करने की तैयारी की जा रही है। मुसलमानों का एक वर्ग यूसीसी का विरोध कर रहा है। उनका दावा है कि सरकार का यह प्रयास उनके मजहब और शरिया में हस्तक्षेप है।

महाराष्ट्र सरकार ने लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए विधानसभा में एक विधेयक पेश करने की घोषणा की है। इस विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में एक सात सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। महाराष्ट्र लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने वाला 10वां राज्य होगा। अब तक देश के नौ राज्यों में लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कानून बन चुके हैं।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने गाजा के पुनर्निर्माण की योजना की घोषणा करके एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। ट्रम्प ने कहा है कि हम गाजा को अपने नियंत्रण में लेकर उसका पुनर्निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन युद्ध के कारण विस्थापित हुए फिलिस्तीनियों को वहां पर फिर से बसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका अरब देशों को सहायता के रूप में मोटी धनराशि देता है, इसलिए मुझे यह आशा है कि कोई भी अरब देश इन विस्थापित फिलिस्तीनियों को अपने देश में बसाने से इंकार नहीं करेगा। इजरायल ने ट्रम्प की इस योजना का स्वागत किया है। वहीं, अरब देशों ने अमेरिकी राष्ट्रपति के इस फैसले का जबर्दस्त विरोध किया है। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने भी ट्रम्प की इस योजना का विरोध किया है। सऊदी सरकार ने इस योजना पर विचार करने के लिए चार अरब देशों का एक शिखर सम्मेलन बुलाने की भी घोषणा की है।

इस्माइली मुसलमानों के 49वें इमाम 88 वर्षीय प्रिंस करीम आगा खान का लिस्बन में निधन हो गया है। अब उनके पुत्र प्रिंस रहीम अल-हुसैनी आगा खान को उनका उत्तराधिकारी मनोनीत किया गया है। आगा खान को पैगंबर-ए-इस्लाम का वंशज माना जाता है। इस्माइली मुसलमानों ने ही फातिमी खिलाफत की स्थापना की थी और इसका मुख्यालय मिस्र में स्थापित किया गया था। करीम आगा खान को विश्व के कई देशों ने सम्मानित किया था। 2015 में भारत सरकार ने भी उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। करीम आगा खान को दुनिया के सबसे धनवान लोगों में गिना जाता था।

वक्फ विधेयक पर जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश

इंकलाब (14 फरवरी) के अनुसार वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट भारी हंगामे के बीच संसद के दोनों सदनों में पेश कर दी गई। विपक्ष के जबर्दस्त विरोध की परवाह न करते हुए भाजपा की सांसद मेधा विश्राम कुलकर्णी ने इस विधेयक को राज्यसभा में पेश किया। जबकि लोकसभा में इसे जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने पेश किया। इस दौरान विपक्ष ने सदन का बहिष्कार किया। विपक्ष ने जेपीसी की रिपोर्ट को फर्जी करार देते हुए इसे मानने से इंकार कर दिया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस रिपोर्ट का विरोध करते हुए कहा कि इस रिपोर्ट में वक्फ संपत्ति से संबंधित लोगों की राय को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है और विपक्षी सदस्यों के प्रस्तावों पर भी विचार नहीं किया गया है। खड़गे ने कहा कि यह अलोकतांत्रिक तरीका है। हम इस फर्जी रिपोर्ट को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने राज्यसभा के सभापति से मांग की कि विपक्षी सदस्यों के असहमति नोट को सदन के सदस्यों में बांटा जाए और इस विधेयक को वापस जेपीसी के पास भेजा जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी इस विधेयक को जबरन जनता पर थोप रही है। खड़गे ने आरोप लगाया कि कमेटी ने जानबूझकर ऐसे लोगों की राय ली, जिनका वक्फ से कोई संबंध नहीं है। जबकि इस मामले से जुड़े हुए लोगों की राय को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया।

राज्यसभा में कांग्रेस के दो सदस्यों सैयद नसीर हुसैन और इमरान प्रतापगढ़ी ने भी इस विधेयक का विरोध किया। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि पहले वक्फ बोर्ड के मामले में जेपीसी गठित करके नौटंकी की गई और बाद में विपक्षी सदस्यों के असहमति नोट को इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा का लक्ष्य देशभर में वक्फ की जमीन पर कब्जा करना है। कांग्रेस के एक अन्य सांसद तारिक अनवर ने कहा कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई ने कहा कि 655 पृष्ठों की इस रिपोर्ट को पढ़ने के लिए हमें केवल एक रात का समय दिया

गया, जो अपर्याप्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि जेपीसी के अध्यक्ष दबाव में काम कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि जिस तरह से जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश की गई है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। आवश्यकता पड़ने पर हम इस संबंध में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भी पेश करेंगे।

इसी समाचारपत्र में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार जमीयत उलेमा ने अपनी कार्यसमिति की बैठक में यह घोषणा की है कि हम इस विधेयक को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे और इसके खिलाफ देशभर में संघर्ष करेंगे। जमीयत उलेमा ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल वक्फ संपत्ति को हड़पना चाहता है। देश की राजधानी दिल्ली में स्थित 123 वक्फ संपत्तियों को विवादित करार देकर उन्हें इस प्रस्तावित विधेयक से बाहर कर दिया गया है। जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि अगर तानाशाही तरीके से ही शासन करना है तो फिर लोकतंत्र का ढिंढोरा क्यों पीटा जा रहा है? मदनी ने एनडीए में शामिल सेक्युलर दलों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने मुसलमानों की भावनाओं को नजरअंदाज करके इस विधेयक का समर्थन किया तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

एक अन्य समाचार के अनुसार देश के एक दर्जन से अधिक मुस्लिम संगठनों ने एक संयुक्त पत्रकार सम्मेलन में यह घोषणा की है कि वे इस विधेयक को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर संसद में बहुमत के बल पर इसे पारित करने की कोशिश की गई तो हम सड़क पर इसका विरोध करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल मुसलमानों की भावनाओं को नजरअंदाज करके तानाशाही तरीके से इस रिपोर्ट को उन पर थोप रहा है। हम संविधान और कानूनी दायरे में रहकर इसका विरोध करते रहेंगे। पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करने वालों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास आदि शामिल थे।

उर्दू टाइम्स (14 नवंबर) के अनुसार ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह विधेयक असंवैधानिक और संविधान की धारा 14, 15 व 19 के खिलाफ है, इसलिए इसे वापस लिया जाना चाहिए। हम किसी भी कीमत पर इसे स्वीकार नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस रिपोर्ट की निंदा की है। उन्होंने कहा कि भाजपा पूरी तरह से तानाशाही के रास्ते पर चल रही है। यही कारण है कि विपक्ष के असहमति नोट को कूड़ेदान में फेंक दिया गया। सरकार का इरादा बहुत खतरनाक है। संजय सिंह ने कहा कि आज सरकार वक्फ संपत्तियों पर कब्जा कर रही है। कल वह गुरुद्वारा, गिरजाघर और मंदिरों पर भी कब्जा कर लेगी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने कहा कि यह धर्म से जुड़ा मामला नहीं, बल्कि संविधान से जुड़ा मामला है। इस विधेयक के संबंध में विपक्षी सांसदों की आपत्तियों को खारिज कर दिया गया है। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद अरविंद सावंत ने

कहा कि हमारी आपत्तियों को रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। यह लोकतंत्र का गला घोंटना है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

औरंगाबाद टाइम्स (17 फरवरी) के अनुसार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता मीरवाइज उमर फारूक ने कहा है कि सरकार ने वक्फ से संबंधित लोगों से सलाह-मशवरा नहीं किया है। यह कानून इस्लाम और मुस्लिम धार्मिक संस्थानों की स्वायत्तता के लिए खतरनाक है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हमारी मस्जिदों, मदरसों और इमामबाड़ों पर कब्जा करना चाहती है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने दावा किया है कि निजी तौर पर अनेक मुस्लिम सांसद इस विधेयक के समर्थन में हैं, लेकिन अपनी-अपनी पार्टियों के दबाव के कारण वे मजबूर हैं। उन्होंने दावा किया कि एनडीए में शामिल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भी इस विधेयक के समर्थन में हैं। रिजिजू ने कहा कि सिर्फ कांग्रेस ही इस विधेयक का विरोध कर रही है और उसका लक्ष्य भाजपा की छवि को धूमिल करना है।

हिंदुस्तान (16 फरवरी) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि सरकार मुसलमानों की वक्फ संपत्तियों को हड़पने के लिए हर हथकंडे का इस्तेमाल कर रही है। संसद में अपने बहुमत के बल पर वह विपक्षी सदस्यों का गला घोंट रही है। समाचारपत्र ने यह आशा व्यक्त की है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इस विवादित विधेयक को वापस लेने हेतु सरकार पर दबाव डालेंगे।

अखबार-ए-मशरिक (16 फरवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि सरकार मुसलमानों के शरिया कानूनों और उनके धार्मिक अधिकारों को कुचलना चाहती है। समाचारपत्र ने अपील की है कि अगर सरकार वक्फ विधेयक को संसद में पारित करवा लेती है तो मुस्लिम संस्थानों को इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए।

सियासत (14 फरवरी) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि भाजपा हिंदू राष्ट्र के अपने एजेंडे को मुसलमानों पर लादना चाहती है। सरकार को देश में लाखों एकड़ भूमि पर हुए अवैध कब्जे को रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए था, लेकिन उसकी नीयत साफ नहीं है। सरकार वक्फ संपत्तियों को स्वयं हड़पना चाहती है।

उर्दू टाइम्स (14 फरवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि जेपीसी की रिपोर्ट को जिस तरह से संसद में पेश किया गया है उससे कानून और नियमों की धज्जियां उड़ गई हैं। जब विपक्षी सदस्यों ने इस पर आपत्ति की तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने सफाई दी कि रिपोर्ट से कुछ नहीं हटाया गया है। इस पर कर्नाटक से कांग्रेस के सांसद नसीर हुसैन ने इस रिपोर्ट को फर्जी करार देते हुए कहा कि इस रिपोर्ट में ऐसे लोगों की टिप्पणियों को रखा गया है, जिनका वक्फ से कोई लेना देना नहीं है। जबकि वक्फ से संबंधित लोगों की टिप्पणियों को इस रिपोर्ट में शामिल ही नहीं किया गया है। अनेक विपक्षी सांसदों ने उनके इस आरोप की पुष्टि की है।

मुंसिफ (4 फरवरी) ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह मुसलमानों को जानबूझकर दूसरे

दर्जे का नागरिक बना रही है और उनकी संपत्तियों को हड़प रही है।

हिंदुस्तान (1 फरवरी) ने आरोप लगाया है कि सरकार ने हिंदू राष्ट्र बनाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया था, यह उसी दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इस विधेयक में वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ काउंसिल में गैर-मुसलमानों की सदस्यता को अनिवार्य घोषित किया गया है। हालांकि, वक्फ संपत्ति वही व्यक्ति दान कर सकता है, जो कम-से-कम पांच सालों से मुसलमान रहा हो।

अखबार-ए-मशरिक (2 फरवरी) के अनुसार पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से अपील की है कि वे इस विधेयक को वापस लेने के लिए मोदी सरकार पर दबाव डालें।

अब गुजरात में भी समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी

उर्दू टाइम्स (5 फरवरी) के अनुसार गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का प्रारूप तैयार करने के लिए एक पांच सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी की प्रमुख सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई होंगी। यह कमेटी 45 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप देगी। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा है कि यह फैसला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सहमति से लिया गया है। गौरतलब है कि हाल ही में उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया गया है। हालांकि, आदिवासियों को इस कानून से बाहर रखा गया है। समाचारपत्र के अनुसार मध्य प्रदेश, राजस्थान और असम में भी यूसीसी लागू करने की तैयारी की जा रही है। भाजपा के नेताओं ने महाराष्ट्र में भी यूसीसी लागू करने का संकेत दिया था, लेकिन सहयोगी दल एनसीपी (अजित पवार गुट) के विरोध के कारण फिलहाल के लिए यह मामला खटाई में डाल दिया गया है।

मुंसिफ (7 फरवरी) ने कहा है कि भाजपा यूसीसी के मुद्दे पर आगामी लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसकी शुरुआत उत्तराखंड से की गई है, क्योंकि वहां पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बहुत कम है। 2029 आते-आते भाजपा इस मुद्दे को काफी गर्म कर

देगी ताकि वह अपने चुनावी अभियान का मुख्य मुद्दा यूसीसी को बना सके। समाचारपत्र ने कहा है कि इस कानून का असली उद्देश्य मुसलमानों को निशाना बनाना और उन्हें इस्लाम व शरिया से दूर करना है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (11 फरवरी) ने कहा है कि यूसीसी भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को दी गई आजादी के खिलाफ है। समाचारपत्र ने कहा है कि कांग्रेस सरकार 1972 में गोद लेने से संबंधित एक विधेयक लेकर आई थी। उस समय के कानून मंत्री एचआर गोखले ने इसे यूसीसी की दिशा में पहला कदम बताया था। उनकी इस घोषणा के बाद मुसलमानों में बेचैनी पैदा हो गई थी। तब दारुल उलूम देवबंद के तत्कालीन प्रमुख कारी मोहम्मद तैयब कासमी ने मुस्लिम चिंतकों का एक सम्मेलन दारुल उलूम देवबंद में बुलाया था। इस सम्मेलन में शरिया और इस्लाम की रक्षा के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन करने

का फैसला किया गया था। समाचारपत्र ने कहा है कि अगर देश में यूसीसी लागू हो जाता है तो इसका सीधा मतलब है कि मुसलमानों को निकाह, तलाक, हिबा और उत्तराधिकार जैसे शरई कानूनों से दूरी बनानी होगी। यही कारण है कि मुसलमान आज तक यूसीसी का विरोध करते आ रहे हैं।

हिंदुस्तान (6 फरवरी) ने अपने संपादकीय में गुजरात और महाराष्ट्र में यूसीसी लागू करने के प्रयासों का विरोध किया है। समाचारपत्र ने दावा किया है कि आरएसएस और भाजपा के लोग देश के सेक्युलर संविधान को खत्म करना चाहते हैं। प्रारंभ से ही वे अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने और यूसीसी को लागू करने का वायदा करके बहुसंख्यक समाज को मुसलमानों के खिलाफ उकसाते रहे हैं। हालांकि, भारत जैसे बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक देश में यूसीसी लागू करना संभव नहीं है। यही कारण है कि उत्तराखंड सरकार आदिवासियों पर यूसीसी लागू करने में विफल रही है। समाचारपत्र ने पूछा है कि मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता पर कुठाराघात क्यों किया जा रहा है?

एतेमाद (5 फरवरी) ने अपने संपादकीय में देश में यूसीसी लागू करने के प्रयासों का विरोध किया है। समाचारपत्र ने कहा है कि सरकार की इस नीति के कारण देश में धार्मिक विभाजन को बढ़ावा मिलेगा और सेक्युलर ताने बाने को नुकसान पहुंचेगा। अब भाजपा के लिए राम मंदिर और जम्मू-कश्मीर का मुद्दा खत्म हो चुका है, इसलिए वह यूसीसी का नया शोशा छोड़ रही है। सरकार मुसलमानों को यह संदेश देना चाहती है कि वह इस्लाम व शरिया को खत्म करके ही दम लेगी।

महाराष्ट्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की घोषणा

उर्दू टाइम्स (16 फरवरी) के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए एक कानून बनाने की घोषणा की है। इसका प्रारूप तैयार करने हेतु महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक संजय वर्मा की अध्यक्षता में एक सात सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। इस तरह से महाराष्ट्र लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने वाला 10वां राज्य बन जाएगा। अब तक देश के नौ राज्यों- उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाए जा चुके हैं। कुछ समय पहले भाजपा नेता नितेश राणे ने महाराष्ट्र में लव जिहाद के खिलाफ

चला रहे हैं। लव जिहाद की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। यह सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि भाजपा सरकारों की विफलता पर पर्दा डाला जा सके। समाचारपत्र ने दावा किया है कि भाजपा अपने सहयोगी दलों को हाशिए पर रख कर महाराष्ट्र में सांप्रदायिक नफरत को हवा दे रही है। लव जिहाद कानून का सीधा लक्ष्य मुसलमानों को निशाना बनाना है। सरकार मुसलमानों को आर्थिक रूप से तबाह व बर्बाद करना चाहती है। पुणे में अवैध निर्माण की आड़ में मुसलमानों की पांच हजार दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। जिन लोगों की दुकानों को ध्वस्त किया गया है उनका दावा है कि वे 40-50 सालों से वहां पर व्यापार कर रहे थे। अगर उन्होंने अतिक्रमण किया था तो अभी तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे जिया खान ने उर्दू स्कूलों के अल्पसंख्यक दर्जे को खत्म करने की मांग की है। जबकि एक अन्य मंत्री नितेश राणे ने मांग की है कि राज्य के इस्लामिक मदरसों की जांच की जाए।

कानून लाने की मांग की थी। उस समय के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह वायदा किया था कि सरकार इसके खिलाफ कानून बनाएगी। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम हर स्तर पर सोच विचार करने के बाद लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हम यह प्रयास करेंगे कि विपक्ष भी इस पर सहमत हो। फडणवीस ने दावा किया कि यह कानून किसी विशेष धर्म के खिलाफ नहीं है।

मुंसिफ (16 फरवरी) के अनुसार इस कमेटी का स्वागत करते हुए महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा है कि यह पूरे हिंदू समाज की मांग है। महाराष्ट्र में लव जिहाद की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं और इन्हें रोकना बेहद जरूरी है। पिछले साल सिर्फ मुंबई में ही लव जिहाद के चार बहुचर्चित मामले प्रकाश में आए थे। तब एक विशेष संप्रदाय के लोगों ने हिंदू लड़कियों को प्रलोभन देकर उनका धर्मांतरण कराया था। उन्होंने आरोप लगाया कि जब मैंने इस मामले को विधानसभा में उठाया था तो समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने मेरे खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर करने की धमकी दी थी। लोढ़ा ने कहा कि रईस शेख जैसे लोग जानबूझकर लव जिहाद को प्रोत्साहन दे रहे हैं।

हिंदुस्तान (17 फरवरी) ने अपने संपादकीय में दावा किया है कि राज्य में सत्तारूढ़ दल मुसलमानों के खिलाफ सुनियोजित अभियान

अखबार-ए-मशरिक (17 फरवरी) के अनुसार देवेंद्र फडणवीस ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा है कि अंतरधार्मिक विवाह करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन देश में धोखे से या विवाह का प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने की घटनाएं बढ़ रही हैं और इस तरह की घटनाओं को रोकना बेहद जरूरी है। कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने कहा है कि सत्तारूढ़ दल लव जिहाद की आड़ में नफरत का अभियान चला रहा है ताकि मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाकर उन्हें बदनाम किया जा सके। इसके कारण मॉब लिंचिंग की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। दलवई ने कहा कि संघ परिवार मुसलमानों को जलील करना चाहता है।

दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम पर उर्दू मीडिया की प्रतिक्रिया

अखबार-ए-मशरिक (17 फरवरी) ने कहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत सेक्युलर पार्टियों की नादानी का नतीजा है। सेक्युलर पार्टियां भाजपा के आक्रामक चुनावी अभियान का जवाब देने में विफल रही हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच चुनावी समझौता न होने के कारण सेक्युलर वोट विभाजित हो गए। इसके कारण भाजपा सत्ता में आ गई। हालांकि, दिल्ली में भाजपा को सफलता उसकी उपलब्धियों के आधार पर नहीं, बल्कि सेक्युलर पार्टियों की आपसी रस्साकशी के कारण मिली है। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में समझौता हो जाता तो भाजपा कभी सत्ता में नहीं आती। मुसलमान शुरू से ही आम आदमी पार्टी का समर्थन करते रहे हैं। यही कारण है कि नौ मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सफल हुए हैं।

उर्दू टाइम्स (16 फरवरी) के अनुसार आम आदमी पार्टी मुस्लिम वोटों के कारण सत्ता में आई थी, लेकिन उसने अपने 10 साल के शासनकाल में मुसलमानों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया। स्कूलों को यह निर्देश दिया गया कि वे बांग्लादेशी और रोहिंग्या बच्चों को अपने स्कूलों में दाखिला न दें। हद तो यह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बुलडोजर के इस्तेमाल की निंदा करने की हिम्मत नहीं की। आम आदमी पार्टी के मंत्रियों ने कोरोना महामारी के दौरान तब्लीगी जमात पर आरोप लगाया कि उसके लोग दिल्ली और देश के अन्य भागों में कोरोना फैला रहे हैं। उनका यह बयान बिल्कुल गलत था। आम आदमी पार्टी ने हाल के चुनावी अभियान में हिंदू मतदाताओं पर डोरे डालने के मामले में भाजपा को भी पीछे छोड़ दिया। सनातन सेवा समिति का गठन किया गया। गुरुद्वारों के ग्रंथियों और मंदिरों के पुजारियों को वेतन देने की घोषणा की गई। इसके अतिरिक्त सुंदर कांड का पाठ किया गया। यह सब इसलिए किया गया ताकि हिंदू वोटरों को पार्टी की ओर आकर्षित किया जा सके। आम आदमी पार्टी को इस हिंदूवादी अभियान का कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि दिल्ली की सत्ता भी उसके हाथ से निकल गई।

अवधनामा (13 फरवरी) ने कहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार का मुख्य कारण यह है कि अरविंद केजरीवाल ने हिंदुत्व के

मामले में भाजपा को भी मात दे दी। दिल्ली दंगों और जहांगीरपुरी में बुलडोजर कार्रवाई के मामले में आम आदमी पार्टी मूकदर्शक बनी रही। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने विशेष सुविधाएं और सरकारी बंगला न लेने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन वादों की धज्जियां उड़ा दीं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने सरकारी आवास पर 100 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च करके उसे 'शीशमहल' बना दिया। शराब घोटाले के कारण भी पार्टी की छवि को गहरा धक्का लगा। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में किसी भी मुसलमान या दलित को नहीं भेजा। केजरीवाल ने सेक्युलरिज्म के बजाय हिंदुत्व का रास्ता अपनाया। मंदिरों के दर्शन के लिए हिंदू बुजुर्गों को तीर्थयात्रा पर भेजा। पुजारियों और ग्रंथियों के लिए मोटे-मोटे वेतन की घोषणा की गई, लेकिन इमामों को दो साल से एक रुपये का भी भुगतान नहीं किया गया।

अखबार-ए-मशरिक (13 फरवरी) ने अपने संपादकीय में भाजपा को मशवरा दिया है कि वह पश्चिम बंगाल को दिल्ली समझने की गलती न करे। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की जनता की नब्ज को समझती हैं और वे बंगाली जनता के संघर्ष का प्रतीक बन गई हैं। एक ओर तो ममता बनर्जी जनता को अधिक से अधिक सुविधाएं देने के लिए कटिबद्ध हैं। दूसरी ओर, वे सांप्रदायिक ताकतों का डटकर मुकाबला कर रही हैं।

उर्दू टाइम्स (10 फरवरी) के अनुसार दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम के बारे में चाहे जितनी बहस कर ली जाए, लेकिन यह हकीकत है कि इस देश के नागरिकों में बड़ी तेजी से सांप्रदायिक जहर फैल रहा है। भाजपा और आरएसएस ने इस देश को हिंदू राष्ट्र में बदलने का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है और वे उस दिशा में तेजी से अग्रसर हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में देश में भाजपा विरोधी माहौल को देखते हुए पार्टी अब सभी राज्यों में हर कीमत पर अपनी सत्ता कायम करना चाहती है। देश की सभी संवैधानिक संस्थाएं भाजपा के इस अभियान का हिस्सा बन चुकी हैं और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया भी भाजपा की कठपुतली बना हुआ है।

उर्दू टाइम्स (9 फरवरी) ने अपने संपादकीय में दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणामों पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह भाजपा की बहुत बड़ी जीत है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में पिछले दस सालों से एकतरफा जीत रही थी। इससे ऐसा महसूस हो रहा था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराना बेहद मुश्किल है, लेकिन इस बार पार्टी बुरी तरह से हार गई। पार्टी के सबसे बड़े नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट न बचा सके। आम आदमी पार्टी के वोटों में नौ प्रतिशत की गिरावट आई है, जो बहुत बड़ी गिरावट है। हालांकि, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी को अधिक मत मिले। इस बार मुस्लिम सीटों पर आम आदमी पार्टी के साथ-साथ कांग्रेस और एआईएमआईएम भी मैदान में थी, लेकिन दिल्ली के मुस्लिम मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी पर ही भरोसा किया। नौ मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में से आठ पर आम आदमी पार्टी जीती। वहीं, कांग्रेस

तीसरी बार भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपना खाता खोलने में विफल रही है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को सत्ता से दूर कर दिया है। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती तो उनके लिए 35 सीटें जीतना मुश्किल काम नहीं था। जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास आम आदमी पार्टी को ले डूबा। अब पंजाब में भी यही खेला होगा। समाचारपत्र ने पूछा है कि क्या इस समय जीरो से शुरू और जीरो पर खत्म कांग्रेस के 82 वर्षीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस हार की जिम्मेवारी लेंगे?

मुंसिफ (10 फरवरी) ने दिल्ली विधानसभा चुनाव का विश्लेषण करते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी आत्ममुग्धता के कारण हारी है। यह भाजपा का जादू नहीं, बल्कि केजरीवाल की नादानी है। केजरीवाल ने अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। हालांकि, अरविंद केजरीवाल ने यह आरोप लगाया है कि इन चुनावों में चुनाव आयोग का रवैया पक्षपातपूर्ण रहा है। उसने भाजपा को जीत दिलाने के लिए हर हथकंडे का इस्तेमाल किया। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल का हिंदू तुष्टिकरण की राह पर चलना उनके लिए घातक साबित हुआ है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की दूरी के कारण भाजपा दिल्ली में सत्ता में आई है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (9 फरवरी) ने कहा है कि इन चुनावों में आम आदमी पार्टी को जबर्दस्त हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि, मुसलमानों ने दिल खोलकर आम आदमी पार्टी का साथ दिया। जबकि आम आदमी पार्टी की सरकार ने मुसलमानों को हमेशा नजरअंदाज किया और उन्हें जख्म देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। केजरीवाल शुरू से अंत तक जनता को धोखा देते रहे हैं। उन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई कि वे कांग्रेस के साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के समर्थन से ही अपनी पहली सरकार बनाई। उन्होंने यह भी प्रचार किया कि वे कोई सरकारी आवास नहीं लेंगे और न ही लाल बत्ती गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वे अपने इन वायदों पर कभी खरे नहीं उतरे।

हिंदुस्तान (11 फरवरी) के अनुसार आम आदमी पार्टी के एक पुराने नेता प्रशांत भूषण ने कहा है कि यह हार आम आदमी पार्टी के खात्मे की शुरुआत है। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि अब आम आदमी पार्टी विभाजित होकर खत्म हो जाएगी।

सियासत (4 फरवरी) ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल स्वयं को हिंदुत्व का पुरोधा साबित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर मुसलमानों से दूरी बनाई। केजरीवाल ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में एक भी चुनावी सभा को संबोधित नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 सीटों में से पांच सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए थे, जिनमें से चार जीते। आखिर क्या कारण है कि केजरीवाल ने मुस्लिम क्षेत्रों से दूरी बनाए रखी?

एतेमाद (9 फरवरी) ने शिकायत की है कि हाल के दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी को जमकर वोट दिए, लेकिन केजरीवाल की सरकार ने मुसलमानों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया था। 2020 में सीएए विरोधी आंदोलन के दौरान उत्तर-पूर्वी

दिल्ली में दंगे हुए थे। इन दंगों में 50 से अधिक लोग मारे गए थे। मरने वालों में अधिकतर मुसलमान थे। इन दंगों के बाद पुलिस ने मुसलमानों की अंधाधुंध गिरफ्तारियां की, लेकिन केजरीवाल चुप्पी साधे रहे। दिल्ली दंगों के सिलसिले में आम आदमी पार्टी का एक पार्षद ताहिर हुसैन भी गिरफ्तार हुआ था। आम आदमी पार्टी ने उसका साथ नहीं दिया, बल्कि उसे पार्टी से ही निकाल दिया।

सियासत (10 फरवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि इससे पहले दिल्ली के मुसलमान हमेशा कांग्रेस के साथ रहे, लेकिन 2013 के चुनाव के बाद उनका रूझान आम आदमी पार्टी की ओर हुआ। मुस्तफाबाद एकमात्र ऐसी मुस्लिम बहुल सीट है, जहां से भाजपा के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। इसका कारण यह है कि वहां पर कई मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हो गए थे, जिसका लाभ भाजपा ने उठाया।

अखबार-ए-मशरिक (10 फरवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भाजपा का कमल खिल उठा है। जबकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तकदीर पर झाड़ू फिर गई है। खास बात यह है कि इन चुनावों में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि अरविंद केजरीवाल अपनी ही सीट गंवा बैठे। हैरानी की बात है कि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी अपनी सीट नहीं बचा पाए।

एतेमाद (10 फरवरी) ने कहा है कि 27 सालों के बाद भाजपा देश की राजधानी दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के दाग के कारण जनता ने उनसे दूरी बना ली। शुरू में आम आदमी पार्टी ने 'सॉफ्ट हिंदुत्व' का कार्ड खेलने की कोशिश की, लेकिन जब उसे यह महसूस हुआ कि मतदाताओं का रूझान 'हार्ड हिंदुत्व' की ओर है तो पार्टी ने ग्रंथियों व पुजारियों को वेतन देने की घोषणा करने के साथ-साथ सुंदर कांड के पाठ का सिलसिला भी शुरू कर दिया, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ। समाचारपत्र ने कहा है कि भाजपा की जीत का श्रेय आरएसएस के कैडर को जाता है, जिसने जी तोड़ मेहनत की। आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने बहुसंख्यक वर्ग के घरों में जाकर यह सुनिश्चित किया कि उसके समर्थक मतदाता अपने मतों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें।

केंद्रीय बजट उर्दू अखबारों की नजर में

सियासत (2 फरवरी) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने अपने ताजा बजट में अल्पसंख्यक विद्यार्थियों से संबंधित योजनाओं को लगभग खत्म कर दिया है। पिछले साल के बजट में भी अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति की धनराशि में भारी कटौती की गई थी। दूसरी ओर, सरकार ने ओबीसी विद्यार्थियों के बजट में वृद्धि की है। पिछले साल अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की धनराशि 326 करोड़ रुपये थी, जिसे घटाकर 90 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वित्त वर्ष

2023-24 में यह धनराशि 433 करोड़ रुपये थी। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति की धनराशि में भी भारी कटौती की गई है। पिछले साल पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की धनराशि 1145 करोड़ रुपये थी, जिसे घटाकर 343 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

समाचारपत्र का कहना है कि केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अल्पसंख्यकों के विकास में उसकी कोई रुचि नहीं है और न ही वह उनकी शिक्षा के लिए ही कोई धनराशि देना चाहती है। जबकि सरकार ने समाज के अन्य वर्गों के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की धनराशि में वृद्धि की है। इससे 'सबका साथ, सबका विकास' का नारा देने वाली सरकार की कलई खुल गई है। यह भाजपा की अल्पसंख्यक विरोधी नीति का स्पष्ट संकेत है। यह हकीकत है कि किसी भी देश का विकास जनता के शैक्षणिक विकास पर निर्भर करता है। दुनिया में कहीं भी धार्मिक आधार पर छात्रों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, लेकिन भारत में हालात बिल्कुल उल्टा है। समाचारपत्र ने मशवरा दिया है कि देश के अल्पसंख्यकों को इस गंभीर स्थिति को समझना चाहिए। उन्हें देश की संपदा में अपना हिस्सा प्राप्त करने के लिए स्वयं को तैयार करना चाहिए। यह तभी संभव है जब अल्पसंख्यक शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनें।

अवधनामा (14 फरवरी) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि भारत सरकार जानबूझकर अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित बजट में कटौती कर रही है। सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधित कई महत्त्वपूर्ण योजनाओं को खत्म कर दिया है। इनमें कौशल विकास कार्यक्रम, नई मंजिल, यूएसटीटीएडी, अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम और हमारी धरोहर जैसी अनेक महत्त्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। वहीं, इस्लामिक मदरसों के लिए निर्धारित धनराशि में 93 प्रतिशत की कटौती की गई है। वित्त वर्ष 2024-25 में अल्पसंख्यक विद्यार्थियों से जुड़ी छह योजनाओं के लिए 1575 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, लेकिन सिर्फ 517 करोड़ रुपये ही जारी किए गए। इनमें से खर्च की गई धनराशि के आंकड़े भी उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

इसके अतिरिक्त सरकार ने वक्फ बोर्ड विकास योजना की धनराशि में भी भारी कटौती की है। इस योजना के तहत वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड को कंप्यूटराइजेशन किया जाता है। एक अन्य योजना नागरिक वक्फ संपत्ति विकास योजना है। इस योजना के तहत वक्फ बोर्ड लोगों को ब्याज मुक्त कर्ज उपलब्ध कराता है ताकि वक्फ संपत्तियों को व्यावसायिक रूप से विकसित किया जा सके। इसके तहत वक्फ संपत्ति पर वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स, अस्पताल, कोल्ड स्टोरेज और सामाजिक गतिविधि से जुड़े केंद्रों का निर्माण किया जाता है। पहले इन योजनाओं के लिए अलग-अलग धनराशि निर्धारित की जाती थी, लेकिन वित्त वर्ष 2020-21 में इस धनराशि में भारी कटौती की गई। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में इन योजनाओं के लिए 17 करोड़ रुपये की ही व्यवस्था की गई थी, जिनमें से सिर्फ आठ करोड़ रुपये ही जारी किए गए। जबकि खर्च सिर्फ 10 लाख रुपये ही हुआ। अब इस साल इन दोनों

योजनाओं के बजट में कटौती करके इसे 13 करोड़ तक सीमित कर दिया गया है। इसी तरह से विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु दिए जाने वाले कर्ज की सब्सिडी को कम करके आठ करोड़ रुपये कर दिया गया है। जबकि पिछले साल यह धनराशि 15 करोड़ थी। साफ है कि मोदी सरकार का पूरा प्रयास यह है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा की सुविधा से वंचित कर दिया जाए।

उर्दू टाइम्स (3 फरवरी) ने अपने संपादकीय में आलोचना की है कि इस बार के बजट में पांच राज्यों के लिए भारी धनराशि की व्यवस्था की गई है। बिहार और आंध्र प्रदेश के संबंध में तो मोदी सरकार की मजबूरी को समझा जा सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार इन दोनों प्रदेशों में सत्तारूढ़ दलों की बैसाखियों पर टिकी हुई है। जम्मू-कश्मीर के 20 जिलों के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में मात्र दो प्रतिशत की वृद्धि की गई है। जबकि लद्दाख के दो जिलों कारगिल और लेह के बजट में 32 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इन जिलों की जनसंख्या सिर्फ 3 लाख है। समाचारपत्र ने कहा है कि सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया है। बजट में 12 लाख की वार्षिक आय वालों को आयकर में छूट देने की डफली बजाई जा रही है। जबकि कॉर्पोरेट संस्थानों के अरबों रुपये के कर्ज माफ कर दिए गए हैं। सरकार किसानों और छोटा-मोटा धंधा करने वालों को तबाह करने पर तुली हुई है।

उर्दू टाइम्स (2 फरवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए बिहार पर मेहरबान रही हैं। बिहार के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की गई है। इसके लिए बजट में भारी धनराशि निर्धारित की गई है। इसी तरह से इस बजट में महाराष्ट्र का भी खास ध्यान रखा गया है। एनसीपी के अध्यक्ष अजित पवार ने इस वर्ष के बजट को महाराष्ट्र के लिए ऐतिहासिक बताया है। हालांकि, इस समय देश पर लगभग 114 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। इस विदेशी कर्ज को कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है, बल्कि इसमें 14 लाख करोड़ की और वृद्धि की गई है।

मुंसिफ (3 फरवरी) ने अपने संपादकीय में देश की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था पर चिंता प्रकट की है। समाचारपत्र ने कहा है कि इसके कारण विदेशी कंपनियां भारत में पूंजी निवेश करने से बच रही हैं। सरकार ने मालदीव के लिए सहायता की धनराशि में बढ़ोतरी की है। जबकि अफगानिस्तान के लिए निर्धारित धनराशि में कमी की गई है। नेपाल के लिए 700 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है। पिछले साल भी नेपाल के लिए इतनी ही धनराशि निर्धारित की गई थी।

विश्व

अफगानिस्तान में हुए धमाके में 25 लोगों की मौत

इंकलाब (12 फरवरी) के अनुसार अफगानिस्तान के कुंदुज प्रांत में एक बैंक में हुए धमाके में कम-से-कम 25 लोग मारे गए और 50 घायल हो गए। घायलों में से अधिकांश की हालत नाजुक है। मरने वालों में तालिबान के तीन उच्च कमांडर भी शामिल हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार मरने वालों की संख्या में और भी वृद्धि हो सकती है। इस धमाके के पीछे इस्लामिक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस का हाथ होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। यह धमाका तब हुआ जब अफगान सेना के उच्चाधिकारी अपने सैनिकों के वेतन की धनराशि बैंक से निकलवाने के लिए आए थे। मरने वालों में अधिकांश अफगान सेना के अधिकारी बताए जाते हैं।

इंकलाब (24 फरवरी) के अनुसार एक आत्मघाती हमलावर ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल स्थित एक मंत्रालय में घुसने का प्रयास किया। जब सैनिकों ने उसे मंत्रालय में घुसने से रोका तो उसने विस्फोट करके स्वयं को उड़ा लिया। हमलावर को रोकने के प्रयास में तीन अफगान सैनिक मौके पर मारे गए। तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने कहा है कि पश्चिमी देश अफगानिस्तान को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, इसलिए उनके इशारे पर अफगानिस्तान में आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि इन हमलों में हमारे एक पड़ोसी देश का हाथ होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अखुंदजादा ने कहा कि इस पड़ोसी देश के साथ हमारा सीमा विवाद चल रहा है। हाल ही में इस पड़ोसी देश की वायुसेना ने हमारे देश की वायु सीमा का अतिक्रमण किया था और हमारे कुछ क्षेत्रों पर बमबारी भी की थी। इस बमबारी में अनेक लोग मारे गए थे।

सियासत (1 फरवरी) के अनुसार अफगानिस्तान के उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास स्तानिकजई ने कहा था कि दुनियाभर के देश हम पर दबाव डाल रहे हैं कि हम अपने देश की महिलाओं और लड़कियों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोल दें, लेकिन कुछ लोग इस प्रतिबंध को हटाने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह प्रतिबंध इस्लामिक शरिया के अनुरूप है। स्तानिकजई ने कहा था कि पैगंबर मोहम्मद ने भी महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया था और इस्लामिक शरिया में महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखने का कोई प्रावधान नहीं है। उनके इस बयान के बाद अफगानिस्तान में बवाल मच गया था।

यहां तक कि तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने स्तानिकजई की गिरफ्तारी का भी आदेश दे दिया था। हालांकि, गिरफ्तारी से पहले स्तानिकजई काबुल छोड़कर दुबई चले गए। अफगानिस्तान के उप गृह मंत्री मोहम्मद नबी ओमारी भी अपने एक भाषण में महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे खोलने की मांग कर चुके हैं।

चट्टान (6 फरवरी) के अनुसार अफगान सेना ने काबुल स्थित महिलाओं के एक मात्र रेडियो स्टेशन 'रेडियो बेगम' के कार्यालय पर छापा मारा और इसके सभी कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद इस रेडियो स्टेशन को सील कर दिया गया। अफगानिस्तान के सूचना मंत्रालय ने इस छापे की पुष्टि करते हुए कहा है कि इस रेडियो स्टेशन के सभी कंप्यूटर्स और टेलीफोन जब्त कर लिए गए हैं। भविष्य में अफगानिस्तान में किसी भी महिला रेडियो स्टेशन को प्रसारण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इस्माइली धार्मिक प्रमुख करीम आगा खान का निधन

अवधनामा (6 फरवरी) के अनुसार इस्माइली मुसलमानों के 49वें इमाम प्रिंस करीम आगा खान का 88 वर्ष की उम्र में पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में निधन हो गया है।

सियासत (7 फरवरी) के अनुसार प्रिंस रहीम अल-हुसैनी आगा खान इस्माइली मुसलमानों के 50वें इमाम होंगे। करीम आगा खान ने अपनी वसीयत में अपने पुत्र रहीम अल-हुसैनी को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। करीम आगा खान के तीन बेटे और एक बेटी हैं। रहीम अल-हुसैनी करीम आगा खान के सबसे बड़े पुत्र हैं। जबकि उनके दो अन्य पुत्रों के नाम अली मुहम्मद आगा खान और हुसैन आगा खान है। वहीं, उनकी पुत्री का नाम जहरा आगा खान है। प्रिंस करीम आगा खान 1957 में 20 साल की उम्र में अपने दादा सर सुल्तान मुहम्मद शाह की मृत्यु के बाद इस्माइली मुसलमानों के इमाम बने थे। करीम के दादा ने अपने पुत्र प्रिंस अली खान को उत्तराधिकार से इसलिए वंचित कर दिया था, क्योंकि उन्होंने हॉलीवुड अभिनेत्री रीटा हेवर्थ से विवाह कर लिया था। अली खान विश्वभर में अपनी अय्याशी के लिए कुख्यात थे।

उल्लेखनीय है कि आगा खान परिवार को पैगंबर-ए-इस्लाम का प्रत्यक्ष वंशज माना जाता है। इस्माइली एक शिया मुस्लिम संप्रदाय है। हजरत

अली शियाओं के पहले इमाम माने जाते हैं। वे हजरत मुहम्मद के दामाद थे। इस्माइली मुसलमानों की जनसंख्या दो करोड़ से अधिक बताई जाती है, जो दुनिया के 33 देशों में फैले हुए हैं। इस्माइली संप्रदाय की शुरुआत जाफर अल-सादिक के उत्तराधिकार को लेकर हुई। बताया जाता है कि साल 765 में शियाओं के छठे इमाम जाफर अल-सादिक के निधन के बाद उनके उत्तराधिकार के सवाल पर मतभेद पैदा हो गए थे। उनके दोनों बेटों मूसा अल-काजिम और इस्माइल ने इमाम के पद पर दावा किया था। इस पर शिया मुसलमान विभाजित हो गए थे। इस्माइल के अनुयायी इस्माइली कहलाते हैं। बाद में इस्माइली मुसलमानों ने फातिमी खिलाफत की स्थापना की थी और इसका मुख्यालय मिस्र में स्थापित किया गया था। इस्माइली मुसलमानों के 48वें इमाम सर सुल्तान मुहम्मद शाह आगा खान तृतीय थे। मुहम्मद शाह ने 1906 में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी और उन्हें मुस्लिम लीग का स्थाई अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। इसके बाद पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना, जो खुद भी इस्माइली शिया मुसलमान थे हताश होकर लंदन चले गए थे। उन्हें भारत वापस लाने में मुहम्मद शाह का महत्त्वपूर्ण योगदान था।

करीम आगा खान को विश्व के कई देशों ने अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा था। 2015 में भारत सरकार ने भी उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा था। करीम हमेशा पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड में रहे। इन दोनों देशों ने उन्हें अपने देश की नागरिकता प्रदान कर रखी थी। विश्वभर के इस्माइली शिया अपनी आय का 12.5 प्रतिशत हिस्सा आगा खान को भेंट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कहा जाता है कि करीम आगा खान 13 अरब डॉलर से भी अधिक की संपत्ति छोड़ गए हैं। आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क का मुख्य कार्यालय स्विट्जरलैंड में है, जिसमें 50 हजार से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। इस निधि का इस्तेमाल शिक्षा, चिकित्सा और संस्कृति के प्रचार व संरक्षण के लिए किया जाता है। भारत में भी इस फंड से अनेक ऐतिहासिक इमारतों का जीर्णोद्धार किया गया है, जिनमें दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा प्रमुख है।

पाकिस्तान और तुर्किये के बीच 24 समझौतों पर हस्ताक्षर

सियासत (14 फरवरी) के अनुसार तुर्किये के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने पाकिस्तान का दौरा किया है। वे दो दिनों तक पाकिस्तान में रहे। इस दौरान दोनों देशों के बीच 24 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों ने सैन्य, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में संबंध बढ़ाने पर जोर दिया है। तुर्किये ने पाकिस्तान को वित्तीय, खनिज उत्खन्न और हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में भी सहयोग देने पर सहमति प्रकट की है। इसके अतिरिक्त तुर्किये के रक्षा उद्योग प्रेसीडेंसी और पाकिस्तान के रक्षा उत्पादन मंत्रालय के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते के अनुसार तुर्किये पाकिस्तान को विमान और ड्रोन निर्माण के क्षेत्र में सहयोग देगा। टर्किश एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज और

पाकिस्तान समुद्री अनुसंधान एवं विकास संस्थान के बीच तकनीकी आदान-प्रदान और हथियारों के निर्माण में आपसी सहयोग से संबंधित एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। दोनों देशों ने यह भी घोषणा की है कि वे मीडिया, संचार, स्वास्थ्य और औषधि निर्माण के क्षेत्र में आपस में सहयोग करेंगे।

एतेमाद (14 फरवरी) के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद हवाई अड्डे पर तुर्किये के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन का स्वागत किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि तुर्किये के राष्ट्रपति के इस दौरे से दोनों देशों के बीच मैत्री व सहयोग में बढ़ोतरी होगी। शरीफ ने कहा कि एर्दोगन इस्लामिक जगत के महत्त्वपूर्ण नेता हैं। उन्होंने अपने देश को मजबूत बनाया है और जनता की समस्याओं का समाधान किया है। उन्होंने कहा कि तुर्किये कश्मीरी जनता की आजादी के लिए पाकिस्तान को हमेशा सहयोग देता रहा है। हमें आशा है कि यह सहयोग भविष्य में भी जारी रहेगा। शरीफ ने दावा किया कि एर्दोगन 'भारत प्रशासित कश्मीर' की जनता की आजादी और आत्मनिर्णय के अधिकार के प्रबल पक्षधर हैं और वे कई बार इसकी घोषणा कर चुके हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों देश भविष्य में भी अपनी इस नीति पर अड़िग रहेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के उन्मूलन के लिए आपस में सहयोग करेंगे। इस अवसर पर तुर्किये के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किये के संबंध सदियों पुराने हैं। तुर्किये की जनता मोहम्मद अली जिन्ना और मोहम्मद इकबाल से बेहद प्रभावित है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। हमें यहां आकर यह महसूस हुआ है कि हम अपने ही घर में हैं। तुर्किये के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात की।

ढाका में शेख मुजीब के आवास पर उग्र भीड़ का हमला

हिंदुस्तान (7 फरवरी) के अनुसार ढाका में सैकड़ों उग्र प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के आवास में तोड़फोड़ करके उसे आग के हवाले कर दिया। शेख मुजीब का यह ऐतिहासिक आवास धानमंडी क्षेत्र में स्थित है। 1975 में बांग्लादेशी सैनिकों ने इसी आवास पर परिवार सहित शेख मुजीब की हत्या कर दी थी। सत्ता में आने के बाद शेख हसीना ने इस आवास को एक संग्रहालय में बदल दिया था। शेख हसीना ने अवामी लीग के

कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन संबोधित करते हुए इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि पिछले छह महीने से बांग्लादेश की आजादी के इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है।

इससे पहले शेख हसीना ने यह घोषणा की थी कि वे अपनी पार्टी अवामी लीग के छात्र विंग को ऑनलाइन संबोधित करेंगी। उनकी इस घोषणा के बाद बांग्लादेश के वर्तमान शासक गुट से संबंधित छात्रों ने धानमंडी स्थित बंगबंधु म्यूजियम पर हमला बोल दिया और उसे बुलडोजरों से ध्वस्त कर दिया। प्रदर्शनकारी अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे थे। वे यह भी मांग कर रहे थे कि शेख हसीना को भारत से बांग्लादेश लाकर उन पर मुकदमा चलाया जाए। छात्र आंदोलन के संयोजक हसनत अब्दुल्ला ने संवाददाताओं को बताया कि हम शेख मुजीब का नामोनिशान मिटाकर ही दम लेंगे। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस भी मौके पर मौजूद थी, लेकिन वह मूकदर्शक बनी रही। ढाका के पुलिस प्रमुख ने कहा कि प्रदर्शनकारी भारी संख्या में थे, इसलिए उन पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका। अगर पुलिस ताकत का इस्तेमाल करती तो उससे जान-माल का काफी नुकसान होता।

किर्गिस्तान में नकाब पहनने पर प्रतिबंध

कौमी तंजीम (4 फरवरी) के अनुसार मध्य एशिया के मुस्लिम बहुल देश किर्गिस्तान ने महिलाओं के नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाली महिलाओं पर 20 हजार किर्गिज सोम का जुर्माना लगाया जाएगा। रेडियो फ्री यूरोप के अनुसार किर्गिस्तान के कानून मंत्रालय ने दावा किया है कि सुरक्षा कारणों से नकाब पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसका लक्ष्य लोगों के चेहरे को देखकर उनकी पहचान करना है। इस प्रतिबंध के विरोधियों का कहना है कि यह सरकारी फैसला महिलाओं की आजादी के खिलाफ है। महिलाओं को कानूनी अधिकार है कि वे अपनी मर्जी का लिबास पहनें, लेकिन उन्हें इस

अधिकार से वंचित कर दिया गया है। हम इस सरकारी फैसले का विरोध करेंगे।

उल्लेखनीय है कि 21 जनवरी 2025 को किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादिर जापारोव ने धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित एक कानून में संशोधन के

फरमान पर हस्ताक्षर किए थे। इस काननू के तहत देश में नकाब पहनने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। यह कानून चिकित्सा कारणों से पहने जाने वाले नकाब पर लागू नहीं होगा। 2023 में एक किर्गिज सांसद शारापटकन मजीतोवा ने देशभर में नकाब पर प्रतिबंध लगाने का अभियान शुरू किया था। उन्होंने यह भी मांग की थी कि पुरुषों के दाढ़ी रखने पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। गौरतलब है कि मध्य एशिया के कई मुस्लिम देश स्कूलों में हिजाब और बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। इन देशों में पुरुषों के दाढ़ी रखने पर भी प्रतिबंध है।

मलेशिया में वैलेंटाइन डे मनाने पर प्रतिबंध

हिंदुस्तान (4 फरवरी) के अनुसार मलेशिया में वैलेंटाइन डे मनाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इससे पहले मलेशिया में नौजवान जोड़े एक-दूसरे को लाल गुलाब देते थे और कई लोग प्रपोज करके अपने जीवन की नई शुरुआत करते थे। अब मलेशिया के कट्टरपंथी मौलानाओं ने वैलेंटाइन डे को इस्लामिक परंपराओं और शरीयत के खिलाफ करार दिया है। उनके दबाव पर मलेशिया सरकार को वैलेंटाइन डे मनाने पर कानूनी प्रतिबंध लगाना पड़ा है। इन मुस्लिम संगठनों के अनुसार वैलेंटाइन डे मनाना इस्लाम और शरीयत की परंपराओं के खिलाफ है। इससे समाज में अश्लीलता और बेहयाई फैलती है।

गौरतलब है कि 2010 में ईरान सरकार ने भी वैलेंटाइन डे मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह प्रतिबंध अभी भी बरकरार है। ईरान सरकार ने कहा था कि वैलेंटाइन डे मनाना पश्चिमी संस्कृति का प्रतीक है और इससे अवैध संबंधों को प्रोत्साहन मिलता है। अगर ईरान में वैलेंटाइडन डे के मौके पर कोई गैर-शादीशुदा जोड़ा सार्वजनिक स्थानों पर नजर आता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। 2017 में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान में वैलेंटाइन डे मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अतिरिक्त सऊदी अरब और उज्बेकिस्तान सहित कई इस्लामिक देशों में वैलेंटाइन डे मनाने पर प्रतिबंध है।

ट्रम्प की गाजा योजना से मचा बवाल

मुंसिफ (13 फरवरी) के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने गाजा से फिलिस्तीनियों को बेदखल करने और उसे अमेरिकी नियंत्रण में लेकर उसका पुनर्निर्माण करने के अपने बयान को एक बार फिर से दोहराया है। फ्रांसीसी न्यूज एजेंसी 'एएफपी' के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला से मुलाकात की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि जॉर्डन और मिस्र में ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर गाजा के फिलिस्तीनी आराम से रह सकते हैं। बाद में अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने गाजा और वेस्ट बैंक से फिलिस्तीनियों के निष्कासन का विरोध किया है और कहा है कि पूरा अरब जगत इस फैसले के खिलाफ है। हम चाहते हैं कि फिलिस्तीनियों को बिना उनके घर से बेघर किए गाजा का पुनर्निर्माण हो।

गौरतलब है कि ट्रम्प ने यह धमकी दी थी कि अगर जॉर्डन गाजा के फिलिस्तीनियों को अपने देश में बसाने के लिए तैयार नहीं हुआ तो उसे मिलने वाली अमेरिकी सहायता बंद कर दी जाएगी। उत्तर कोरिया सरकार के एक प्रवक्ता ने अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा गाजा पर कब्जा करने और वहां के निवासियों को दूसरी जगह बसाने का विरोध किया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि विदेशी क्षेत्र पर जबरन कब्जा करना, उसे अपने देश में मिलाना या वहां पर रहने वाली आबादी को उस क्षेत्र से जबरन निष्कासित करना असंवैधानिक और गैर-कानूनी है।

हिंदुस्तान (14 फरवरी) के अनुसार ब्रिटेन स्थित सऊदी अरब के राजदूत खालिद बिन बंदर अल-सऊद ने कहा है कि हमारी सरकार का यह स्पष्ट मत है कि गाजा का पुनर्निर्माण हो, लेकिन हम गाजा के फिलिस्तीनियों को किसी दूसरी जगह बसाने की योजना को स्वीकार नहीं करेंगे। बीबीसी से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया जानती है कि फिलिस्तीन की भूमि फिलिस्तीनियों की है। यह उनका इलाका है। उन्हें वहां पर रहने का पूरा अधिकार है। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि अमेरिका गाजा को अपने नियंत्रण

में लेकर उसे 'मध्य पूर्व का रिवेरा' (छुट्टी बिताने वाली खूबसूरत जगह) बनाना चाहता है। इसके लिए जरूरी है कि गाजा के फिलिस्तीनियों को किसी दूसरी जगह बसाया जाए।

इसी समाचारपत्र में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी के प्रवक्ता ने कहा है कि हम चाहते हैं कि फिलिस्तीनी नागरिकों को बिना उनके घरों से बेघर किए गाजा का पुनर्निर्माण हो। उन्होंने कहा कि हमारा यह स्पष्ट मानना है कि 4 जून 1967 की सीमाओं के आधार पर एक आजाद फिलिस्तीनी राज्य का निर्माण हो। इसके बिना वहां पर स्थाई शांति संभव नहीं है। प्रवक्ता ने कहा कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी ने स्पष्ट किया है कि वे गाजा के किसी भी फिलिस्तीनी को अपने देश में नहीं बसाएंगे।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (14 फरवरी) के अनुसार ट्रम्प ने कहा है कि हम गाजा को अपने नियंत्रण में लेकर उसका पुनर्निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन युद्ध के कारण विस्थापित हुए फिलिस्तीनियों को वहां पर फिर से बसने की अनुमति नहीं देंगे। ट्रम्प ने 'फॉक्स न्यूज' को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जो फिलिस्तीनी नागरिक गाजा से बाहर रह रहे हैं उन्हें अन्य देशों में बसाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका विभिन्न अरब देशों को सहायता के रूप में मोटी धनराशि देता है, इसलिए मुझे यह आशा है कि कोई भी अरब देश इन फिलिस्तीनियों को अपने देश में बसाने से इंकार नहीं करेगा। ट्रम्प ने कहा कि इस समय 20 लाख से अधिक गाजा के निवासी विदेशों में रह रहे हैं। उन्हें उन्हीं देशों में बसाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मैं गाजा का मालिक कहलाऊंगा और अपनी संपत्ति को विकसित करने का प्रयास करूंगा। यह जमीन का एक खूबसूरत टुकड़ा होगा।

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रम्प की इस योजना की सराहना की है। उन्होंने ट्रम्प की इस पेशकश को क्रांतिकारी कदम बताते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रम्प इजरायल के लिए एक अलग और बहुत ही बेहतर विजन लेकर आए हैं। इससे गाजा का विकास होगा। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने ट्रम्प के इस मंसूबे को 'स्कैंडल' करार देते हुए कहा है कि फिलिस्तीनियों को उनके घरों से जबरन निकालने को स्वीकार नहीं किया जा सकता और यह अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ होगा।

एतेमाद (9 फरवरी) के अनुसार इराक के राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ रशीद ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित प्रस्तावों के अनुसार इस क्षेत्र में स्थाई शांति के लिए एक आजाद फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम फिलिस्तीनी क्षेत्र पर अमेरिकी कब्जे और वहां के निवासियों को जबरन बेघर करने की किसी भी योजना का विरोध करेंगे।

एतेमाद (8 फरवरी) के अनुसार ब्रिटेन सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की गाजा योजना का विरोध करते हुए कहा है कि ब्रिटेन फिलिस्तीनियों को उनके घरों से जबरन बेघर करने के खिलाफ है। बेहतर यही होगा कि इन लोगों को दोबारा उनके घरों में बसाया जाए। फिलिस्तीनी

प्राधिकरण के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने भी ट्रम्प की योजना का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी अरब देश इसे स्वीकार नहीं करेगा। गाजा फिलिस्तीनियों का है और उन्हें वहां पर रहने का पूरा अधिकार है। फिलिस्तीन की स्वतंत्रता के लिए संघर्षशील संगठनों ने भी ट्रम्प की योजना की निंदा की है। इन संगठनों ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान फिलिस्तीनी जनता के खिलाफ युद्ध का ऐलान है।

संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के राजदूत रियाद मंसूर ने अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान को बेतुका और पागलपन करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की योजनाओं से इस क्षेत्र में फिर से आग भड़क सकती है। हमास ने कहा है कि हम ऐसी किसी भी योजना को स्वीकार नहीं करेंगे। इससे इस क्षेत्र में अराजकता फैल जाएगी और युद्ध की आग भड़क उठेगी। हमारी मांग है कि इजरायली अतिक्रमण को खत्म किया जाए और हमें अपनी भूमि वापस दी जाए। इसके अतिरिक्त हम किसी भी योजना को स्वीकार नहीं करेंगे। तुर्किये के विदेश मंत्री हकान फिदान ने कहा है कि इस योजना को न तो तुर्किये स्वीकार करेगा और न ही कोई अरब देश। यह योजना पागलपन और अर्थहीन है। इससे नए विवाद पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि ट्रम्प को इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और फिलिस्तीनियों को उनकी भूमि वापस दिलानी चाहिए।

अवधनामा (5 फरवरी) के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि हम किसी भी अमेरिकी दबाव का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। फिलिस्तीनियों को उनके घरों से बेघर करने की मांग से इस क्षेत्र में युद्ध की ज्वाला भड़क उठेगी।

औरंगाबाद टाइम्स (11 फरवरी) के अनुसार हमास के प्रवक्ता इज्जत अल-रिशेक ने कहा है कि फिलिस्तीनी जनता को उनके घरों से बेघर करने की योजना को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। गाजा कोई ऐसी संपत्ति नहीं है, जिसे खरीदा या बेचा जा सके। यह फिलिस्तीनियों की भूमि है। तुर्किये के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने फिलिस्तीनियों को गाजा से बेघर करने की योजना पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि दुनिया की कोई भी ताकत फिलिस्तीनियों को उनकी मातृभूमि से बाहर निकालने की ताकत नहीं रखती। वे वहां पर हजारों सालों से रह रहे हैं। एर्दोगन ने कहा कि गाजा, वेस्ट बैंक और यरुशलम फिलिस्तीनियों का है और उन्हीं का रहेगा।

अखबार-ए-मशरिक (10 फरवरी) ने अपने संपादकीय में ट्रम्प की गाजा योजना की निंदा की है। समाचारपत्र ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के फौरन बाद दुनियाभर में उथल-पुथल पैदा कर दी है। उन्होंने कनाडा को अमेरिका का इलाका घोषित किया है और ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा प्रकट की है। अब ट्रम्प ने गाजा से फिलिस्तीनियों को बेदखल करने की योजना की भी घोषणा कर दी है। कहा जाता है कि अमेरिकी

राष्ट्रपति के चुनाव में डोनाल्ड ट्रम्प की कामयाबी के पीछे यहूदी लॉबी का हाथ है, इसलिए वे ग्रेटर इजरायल के मंसूबे को कार्यान्वित करना चाहते हैं।

उर्दू टाइम्स (11 फरवरी) ने अपने संपादकीय में गाजा को अमेरिकी कॉलोनी बनाने के प्रयासों की निंदा की है। समाचारपत्र ने कहा है कि गाजा एक छोटा, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है। यहां पर भारी मात्रा में खनिज पदार्थ और गैस मौजूद है। पिछले एक साल के युद्ध में गाजा पूरी तरह से तबाह हो चुका है।

मुंसिफ (7 फरवरी) ने अपने संपादकीय में ट्रम्प की इस योजना को बेहद डरावना और विश्व शांति के लिए खतरा बताया है। समाचारपत्र ने कहा है कि ट्रम्प विश्व को एक नए युद्ध की ओर धकेलना चाहते हैं। गाजा पट्टी को इस समय अमेरिकी सैनिकों की नहीं, बल्कि मानवीय सहायता की जरूरत है। अगर ट्रम्प यह नहीं कर सकते तो उन्हें अरबों के जख्मों पर नमक छिड़ने का कोई अधिकार नहीं है।

एतेमाद (11 फरवरी) के अनुसार सऊदी अरब की मजलिस अल-शूरा के सदस्य यूसुफ बिन त्राद अल-सादून ने अमेरिकी राष्ट्रपति की इस योजना को खारिज किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इजरायलियों को फिलिस्तीनी क्षेत्रों से बेदखल करके अलास्का या ग्रीनलैंड में बसाना चाहिए। दूसरी ओर, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक इजरायली टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि सऊदी अरब के पास काफी भूमि है। वह अपनी भूमि पर फिलिस्तीनियों को बसाए और उसे स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य घोषित कर दे।

सियासत (16 फरवरी) के अनुसार सऊदी सरकार ने 20 फरवरी को चार अरब देशों का शिखर सम्मेलन बुलाने की घोषणा की है। इस सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति के गाजा योजना पर विचार-विमर्श किया जाएगा। इसमें मिस्र, जॉर्डन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और फिलिस्तीनी प्राधिकरण के राष्ट्रपति महमूद अब्बास भी हिस्सा लेंगे।

कौमी तंजीम (4 फरवरी) के अनुसार मिस्र सरकार ने यह घोषणा की है कि उसके पास गाजा के पुनर्निर्माण का स्पष्ट विजन है। इसके अनुसार किसी भी फिलिस्तीनी को गाजा नहीं छोड़ना पड़ेगा। मिस्र सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि हमारी इस योजना पर सभी अरब देश सहमत हैं और इस संदर्भ में हम संयुक्त राष्ट्र से भी बातचीत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस योजना को संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से कार्यान्वित किया जाए।

अमेरिका द्वारा इजरायल को हथियारों की सहायता

मुंसिफ (17 फरवरी) के अनुसार इजरायली रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि दो हजार पाउंड यानी लगभग 907 किलोग्राम वजनी 1800 एमके-84 बमों से लदा जहाज समुद्र के रास्ते अमेरिका से इजरायल के अशदोद बंदरगाह पर पहुंच गया है। वहां पर इन बमों को कई ट्रकों में लादा गया और इन्हें इजरायली वायुसेना के अड्डों तक पहुंचाया गया। इससे इजरायल की सैन्य शक्ति

में भारी बढ़ोतरी हुई है। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इससे यह साबित होता है कि अमेरिका इजरायल को सैन्य सहायता उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अक्टूबर 2023 में हमास के इजरायल पर हमले के बाद से अब तक अमेरिका ने इजरायल को 76 हजार टन सैन्य उपकरण उपलब्ध कराए हैं। हाल ही में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अमेरिका दौरे के बाद अमेरिकी प्रशासन ने इजरायल को बम, गाइडेड मिसाइल और अन्य सैन्य उपकरण उपलब्ध कराने की मंजूरी दी है। इन उपकरणों का मूल्य सात अरब डॉलर बताया जाता है।

गौरतलब है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल को हथियार भेजने पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के बाद हथियारों की सप्लाई फिर से शुरू कर दी गई है। बाइडेन प्रशासन ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजरायल पर हमले के बाद दो हजार पाउंड वजनी बम इजरायल भेजे थे, लेकिन इजरायल द्वारा गाजा के नागरिक क्षेत्रों पर किए गए हमले के बाद बाइडेन प्रशासन ने इजरायल को हथियारों की दूसरी खेप भेजने से इंकार कर दिया था। अब ट्रम्प ने फिर से इसे बहाल कर दिया है। अमेरिकी हथियारों के इजरायल भेजे जाने से गाजा में हुए युद्धविराम का भविष्य खतरे में पड़ गया है। नेतन्याहू ने अमेरिकी सैन्य सहायता का स्वागत किया है। उन्होंने इसके लिए राष्ट्रपति ट्रम्प की सराहना की है। अमेरिकी विदेश मंत्री के इजरायल पहुंचने के कुछ घंटों के अंदर हमास ने तीन अन्य इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया है। नेतन्याहू ने कहा है कि ट्रम्प के प्रयासों से हमास को इजरायली बंधकों को रिहा करने पर विवश होना पड़ा है।

कौमी तंजीम (2 फरवरी) के अनुसार अमेरिकी अखबार वाल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका द्वारा इजरायल को फिलहाल एक अरब डॉलर मूल्य के हथियारों की सप्लाई की जाएगी। इनमें 4700 बम भी शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक बम का वजन एक हजार पाउंड है। गौरतलब है कि इजरायली सेना वेस्ट बैंक में इन बमों का इस्तेमाल करती आ रही है।

लेबनान में नई सरकार का गठन

सियासत (10 फरवरी) के अनुसार लेबनान के नए प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने अपने मंत्रिमंडल का गठन कर दिया है। नए मंत्रिमंडल में 24 मंत्री शामिल हैं, जिनमें 12 ईसाई और 12 मुसलमान हैं। अमेरिकी संवाद समिति 'एपी' के अनुसार लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ खलील औन ने घोषणा की है कि उन्होंने पुरानी कार्यवाहक सरकार का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है और नई सरकार के गठन का फरमान जारी कर दिया है। मंत्रिमंडल की पहली बैठक को संबोधित करते हुए लेबनान के प्रधानमंत्री सलाम ने कहा है कि उन्हें आशा है कि यह एक कल्याणकारी सरकार होगी, क्योंकि कल्याण और विकास ही लेबनान की तरक्की का एकमात्र रास्ता है। नए राष्ट्रपति के साथ हमने नए लेबनान का कार्य शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे मंत्रिमंडल में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले मंत्री शामिल किए गए हैं, लेकिन इससे सरकार के कार्य में किसी भी तरह की बाधा नहीं आएगी। हमने सभी को संतुष्ट कर दिया है और हम सब मिलकर काम करेंगे। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन ने अमेरिकी राष्ट्रपति के दूत से भी विशेष मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि वर्तमान सरकार स्थाई होगी और वह अधिक दिनों तक चलेगी।

हिंदुस्तान (7 फरवरी) के अनुसार लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन ने फ्रांस से अपील की है कि वह युद्धविराम समझौते के तहत दक्षिणी लेबनान से इजरायली सेना की वापसी के लिए इजरायल पर दबाव डाले। इजरायली सैनिक पिछले साल के सितंबर महीने से लेबनान के सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात हैं। 27 नवंबर को हुए युद्धविराम समझौते के तहत लेबनान के इन इलाकों से इजरायली सेना की वापसी होनी थी, लेकिन इजरायल ने अपने सैनिकों को वापस नहीं बुलाया है।

इससे पहले लेबनान के राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री नजीब मिकाती भी फ्रांस और अमेरिका से अपील कर चुके हैं कि वे इजरायल पर दबाव डालें कि वह युद्धविराम के समझौते को कार्यान्वित करे। लेबनान सरकार ने आरोप लगाया है कि इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के जिन क्षेत्रों पर कब्जा कर रखा है वहां पर वह सार्वजनिक संपत्ति को तबाह कर रही है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के कई क्षेत्रों में सड़कों को बंद कर रखा है और वहां पर कांटेदार तार लगा रखी है। युद्धविराम समझौते के अनुसार 27 जनवरी तक इजरायली सैनिकों को लेबनान छोड़ना था। बाद में अमेरिका ने इस अवधि में 23 दिनों की वृद्धि कर दी। अब 18 फरवरी तक इजरायली सेना को लेबनानी क्षेत्रों को खाली करना होगा। उल्लेखनीय है कि 29 जनवरी को जब लेबनान के कुछ शरणार्थी वापस अपने घरों को लौट रहे थे तो इजरायली सेना के एक ड्रोन ने उन पर हमला कर दिया था। इस हमले में कुछ लोग मारे गए थे। समझौते के अनुसार इजरायल दक्षिणी लेबनान के रमियाह इलाके में दो सैन्य चौकियां स्थापित करेगा। जबकि शेष रास्ते खोल दिए जाएंगे ताकि लेबनान से विस्थापित हुए लोग फिर से अपने घरों को लौट सकें।

लेबनान में ईरानी विमानों पर प्रतिबंध का विरोध

कौमी तंजीम (16 फरवरी) के अनुसार लेबनान ने ईरानी विमान को बेरूत हवाई अड्डे पर उतरने से रोक दिया है। जिस ईरानी विमान को बेरूत हवाई अड्डे पर उतरने से रोका गया है वह ईरान से हिजबुल्लाह के लिए लाखों डॉलर की रकम लेकर जा रहा था। यह रकम हिजबुल्लाह को दी जाने वाली थी ताकि वह अपनी सेना का पुनर्गठन कर सके। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने लेबनान के दो विमानों को तेहरान हवाई अड्डे पर उतरने से रोक दिया है। लेबनानी नागरिक विमानन विभाग के महानिदेशक ने बताया कि तेहरान में फंसे लेबनानी नागरिकों को वापस लाने के लिए दो विमान तेहरान भेजे गए थे, लेकिन ईरान सरकार ने उन्हें तेहरान हवाई अड्डे पर उतरने की अनुमति नहीं दी। ईरानी नागरिक विमानन विभाग के अनुसार इन विमानों को इसलिए रोका गया है, क्योंकि इन्होंने ईरान सरकार से पूर्वानुमति नहीं ली थी।

इंकलाब (17 फरवरी) के अनुसार लेबनान सरकार द्वारा ईरानी विमान को बेरूत हवाई अड्डे पर उतरने की अनुमति न दिए जाने के खिलाफ हिजबुल्लाह ने विरोध प्रकट किया है। हिजबुल्लाह समर्थकों ने बेरूत हवाई अड्डे पर उग्र प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लेबनानी सेना को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। लेबनानी रक्षा मंत्रालय ने ईरान को संदेश भेजा था कि वह अपने किसी भी विमान को बेरूत के लिए उड़ान भरने की अनुमति न दे। इजरायल ने अमेरिका के माध्यम से लेबनान को सूचित किया है कि अगर ईरानी विमान लेबनान हवाई अड्डे पर उतरा तो इजरायली सेना उसे निशाना बनाएगी। इजरायल के इस धमकी के बाद लेबनान और ईरान के बीच विमानों के आवागमन को रोक दिया गया है।

एक अन्य समाचार के अनुसार लेबनान में हिजबुल्लाह ने संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के वाहन पर हमला करके उसे आग लगा दी। इस हमले में शांति सेना का एक उच्चाधिकारी घायल हो गया। हिजबुल्लाह ने यह हमला बेरूत के रफीक हरीरी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ईरानी विमानों को उतरने की अनुमति न दिए जाने के विरोध में किया है। संयुक्त राष्ट्र ने इस हमले की निंदा की है और कहा है कि इससे दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा और स्थिरता की बहाली हेतु किए जाने

वाले प्रयासों को धक्का लगा है। संयुक्त राष्ट्र ने लेबनान सरकार से मांग की है कि इस पूरी घटना की जांच करवाई जाए। दूसरी ओर, लेबनान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह बेरूत हवाई अड्डे के आसपास उग्र प्रदर्शन कर रहा है और लेबनानी सेना ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। सेना ने नागरिकों से अपील की है कि वे हिंसक प्रदर्शनों में भाग न लें, क्योंकि इस समय लेबनान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने शांति सेना को निर्देश दिया है कि वे बेरूत हवाई अड्डे की ओर न जाएं।

सऊदी अरब द्वारा हज के लिए वीजा नियमों में बदलाव

उर्दू टाइम्स (9 फरवरी) के अनुसार सऊदी अरब ने हज 2025 के लिए वीजा नियमों में भारी बदलाव किए हैं। इन बदलावों का प्रभाव 14 देशों पर पड़ेगा, जिनमें भारत भी शामिल है। नए नियमों के अनुसार इन देशों के नागरिकों के लिए मल्टीपल एंट्री वीजा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब हज यात्री सिर्फ सिंगल एंट्री वीजा ही हासिल कर पाएंगे। यह कदम अवैध हज यात्रियों को रोकने के लिए उठाया गया है, क्योंकि लोग मल्टीपल एंट्री वीजा हासिल करके हज यात्रियों में शामिल हो जाते थे। इसके कारण मक्का में भारी भीड़ हो जाती थी। नई नीति के अनुसार जिन 14 देशों के हज यात्रियों के लिए सिंगल एंट्री वीजा लागू किया गया है उनमें भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मिस्र, अल्जीरिया, मोरक्को, इथियोपिया, इराक, जॉर्डन, नाइजीरिया, सूडान, ट्यूनीशिया और यमन शामिल हैं।

अब इन देशों के हज यात्री सिर्फ सिंगल एंट्री वीजा के लिए ही आवेदन दे सकते हैं। वीजा की अवधि 30 दिनों के लिए होगी। उमरा, राजनयिक और आवासीय वीजा पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। पिछले साल हाजियों की अधिक भीड़ और गर्मी के कारण लगभग दो हजार लोग मारे गए थे, जिनमें से अधिकांश अवैध हज यात्री थे। इसके कारण सऊदी सरकार को भारी आलोचना का सामना करना पड़ा था।

सियासत (11 फरवरी) के अनुसार सऊदी सरकार ने उमरा के दौरान मस्जिद अल-हरम (मक्का) में फोटोग्राफी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने यह निर्देश दिया है कि बिना सरकारी अनुमति के कोई भी व्यक्ति फोटो नहीं ले सकता है। इसके साथ ही सऊदी अरब सरकार ने हज के लिए पंजीकरण का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्रालय का कहना है कि 2025 में ऐसे लोगों को ही वीजा दिया जाएगा, जो पहली बार हज के लिए आए हों। इसके अतिरिक्त हज यात्री अपने साथ बच्चों को नहीं ले जा पाएंगे।

RNI No. DELHIN/2017/72722

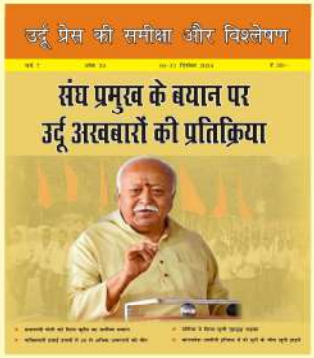

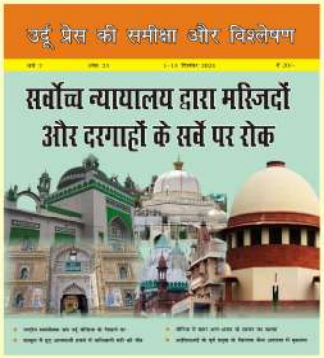

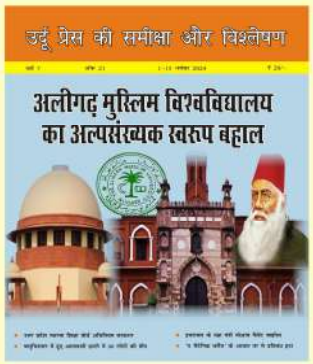

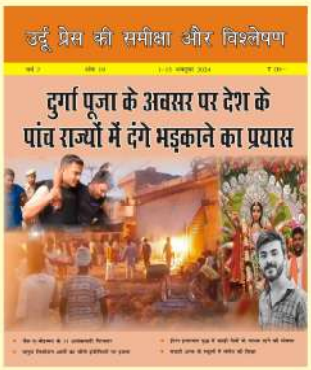

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in